

प्रेस-विज्ञप्तिथाना सिधारी, आजमगढ़मारपीट के मुकदमें में 01 अभियुक्त व 03 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना.. दिनांक 14.03.2023 को वादी मुकदमा श्री चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व० जनार्दन सिंह निवासी ग्राम जाफरपुर थाना सिधारी जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के लड़के नीरज सिंह को जबरदस्ती रोककर मारने पीटने व गाली गुप्ता देते हुये जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर करने, ईट खींचकर मारने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 112/2023 धारा 34/323/504/506/336/341/307 भादवि बनाम सन्नी यादव पुत्र शोभनाथ यादव निवासीगण ग्राम सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ आदि 07 नफर के पंजीकृत किया गया दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 307 भादवि की घटोत्तरी करते हुए धारा 308 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 15.03.2023 को उ०नि० कमल नयन दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त **सन्नी यादव पुत्र शोभनाथ यादव निवासीगण ग्राम सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष** को व **03 बाल अपचारी** को प्राथमिक पाठशाला पल्हनी सर्फुद्दीनपुर के पास से समय 14.40 बजे गिरफ्तार किया गया तथा 03 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि होली के दिन समय करीब 12 बजे के आस पास हमारे गांव के लड़के मिल जुलकर रंग खेल रहे थे तभी मोटर साइकिल से नीरज सिंह अपने दो अन्य दोस्तों के साथ आया जिस पर हम लोगों ने रोककर उसे रंग लगाया जिससे नाराज होकर वो गाली गुप्ता करने लगा इसी पर बात बढ़ गयी और झगड़ा हो गया। बाद में लोगों ने बीच बचाव कर झगड़ा छुड़ा दिया।

पंजीकृत अभियोग -

मु०अ०सं० 112/2023 धारा 34/323/504/506/336/341/308 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास**1. मुकदमा उपरोक्त****गिरफ्तार अभियुक्त**

1- सन्नी यादव पुत्र शोभनाथ यादव निवासीगण ग्राम सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

2- **03 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ.नि. कमल नयन दूबे मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना सिधारी, आजमगढ़

हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना.. दिनांक 26.01.2023 को वादी मुकदमा श्री अशफाक पुत्र झिन्नू सा० भदुली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि विपक्षियों द्वारा वादी के घर के सामने तेज आवाज में बजा रहे गाना को मना करने की बात को लेकर वादी को गाली गुप्ता देना, लाठी डण्डे से मारना पीटना, वादी के पुत्र के बचाने आने पर उसे भी मारना पीटना जिससे उसके पुत्र अरशद का बेहोश हो जाने के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 48/23 धारा 34,323,504,308 भादवि बनाम 1. शहनवाज पुत्र जनरल 2. मोनू पुत्र जनरल 3. जनरल पुत्र अतारसूल, 4. बुना पुत्री जनरल 5. शकीला पत्नी जनरल साकिनान भदुली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ०नि० अवधेश कुमार द्वारा की जा रही है। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 308 भादवि की घटोत्तरी करते हुए धारा 307 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 15.03.2023 को उ०नि० अवधेश कुमार मय हमराह हे०कां० संतोष यादव व कां० सतीश बघेल द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त शहनवाज उर्फ निरहू पुत्र जनरल निवासी ग्राम भदुली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को भदुली मस्जिद के पीछे से मुखबिर खास की सूचना पर समय 12.15 बजे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त शहनवाज उर्फ निरहू पुत्र जनरल निवासी ग्राम भदुली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष बदरियाफ्त पूछने पर बता रहा है कि मैने दिनांक 25.1.23 को अरशद से तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था जिस पर दिनांक 26.1.23 को एक डण्डे से अरशद के सर पर वार किया था जिस पर आधा टूटा डण्डा एक झाड़ी में फेंक दिया था। इस प्रकार बार बार माफ़ी मांगते हुए अपने जुर्म को स्वीकार कर रहा है।

पंजीकृत अभियोग - मु०अ०सं०- 48/23 धारा 34,323,504,307 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मुकदमा उपरोक्त ।

गिरफ्तार अभियुक्त

शहनवाज उर्फ निरहू पुत्र जनरल निवासी ग्राम भदुली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष
बरामदगी –

एक अदद लकड़ी का डण्डा आधा टूटा हुआ
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

2. उ.नि. अवधेश कुमार मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़
3. हे0कां0 संतोष यादव थाना सिधारी आजमगढ़
4. कां0 सतीश बघेल थाना सिधारी आजमगढ़

थाना सिधारी, आजमगढ़

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 15.03.2023 को उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह हे0कां0 अजय कन्नौजिया व का0 ऐश कुमार के साथ मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सद्दाम खान पुत्र समसुदीन खान निवासी सिधारी थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ बेलनाडीह मोड वहद ग्राम बेलनाडीह बफासला 03 कि0मी0 दक्षिण-पूरब से समय 11.05 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 114/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0- 114/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सद्दाम खान पुत्र समसुदीन खान निवासी सिधारी थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 114/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 82/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़

बरामदगी

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना- महाराजगंज

वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

1. घटना का विवरण (संक्षेप में)– दिनांक 17.02.23 को वादी श्री सुरेश कुमार जाट पुत्र प्रताप सिंह निवासी सिहुरा थाना जमुना पार जिला मथुरा ने शिकायत किया कि मैं अपनी शादी करने के लिए अपने मौसी के लड़के अशोक पुत्र बदन सिंह व साथी रमाकान्त के साथ आजमगढ़ आया था। आजमगढ़ से बुढ़ऊ बाबा मन्दिर के पास लड़की देखने की बात हुई थी, जिसमें अभियुक्त/अभियुक्तागण 1.रूद्रेश सिंह पुत्र जंगशेर सिंह निवासी बैसही थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर, 2.वेदप्रकाश विश्वकर्मा पुत्र रामनयन निवासी हैदराबाद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, 3.प्रेम विश्वकर्मा पुत्र केशा विश्वकर्मा निवासी सहदेवगंज थाना महाराजगंज आजमगढ़, 4.प्रदीप राय पुत्र दयाशंकर निवासी अवतीपहलवानपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़, 5.शीलावती पत्नी धर्मेन्द्र निवासी हाजीपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, 6.सविता पुत्री रामबृक्ष निवासी ताहिरपुर बघावर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ सभी लोग लड़की सविता को शादी के नाम पर दिखाये तथा शादी के नाम पर वादी से 1 लाख 30 हजार रू0 ले लिये। दिनांक 16/02/2023 को बुढ़ऊ बाबा स्थान पर वादी मुकदमा अपने साथियों के साथ लड़की सविता से शादी के लिए इन्तजार कर रहा था कि शाम को इनके साथी रोहित कुमार सिंह व अविनाश सिंह हम लोगों को गाडी में बैठाकर एक मुर्गी फार्म पर ले जाकर कमरे में बंद कर दिये व हम लोगों से एक लाख रुपये देने की माँग किए न देने पर हम लोगों को मारे पिटे व जान से मारने की धमकी दिए मैं पेशाब करने के बहाने वहा से भाग कर आया। मेरे साथियों को बचा लें साहब जो उनके कब्जे में है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 58/23 धारा 364A IPC पंजीकृत कर अभियुक्तरोहित कुमार सिंह आदि 02 नफर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है व अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।

2.गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक 15.03.23 उ0नि0 माखन सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त 1.वेदप्रकाश विश्वकर्मा पुत्र रामनयन उम्र करीब 44 वर्ष निवासी हैदराबाद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, 2.शीलावती पत्नी धर्मेन्द्र उम्र करीब 35 वर्ष निवासी हाजीपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, 3.सविता पुत्री रामबृक्ष उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ताहिरपुर बघावर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को स्थान सरदहा बाजार से समय करीब 09.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 58/2023 धारा 364A IPC बढोत्तरी धारा 420, 120B IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त।

अभियुक्त/अभियुक्तागण- 1.अविनाश सिंह पुत्र भानू प्रताप सिंह निवासी हरखपुरा खास थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़, 2.रोहित कुमार सिंह पुत्र स्व0 विनोद सिंह ग्राम हरखपुरा खास थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ । **प्रकाश में आये अभियुक्तगण** 3.रूद्रेश सिंह पुत्र जंगशेर सिंह निवासी बैसही थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर, 4.वेदप्रकाश विश्वकर्मा पुत्र रामनयन निवासी हैदराबाद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, 5.प्रेम विश्वकर्मा पुत्र केशा विश्वकर्मा निवासी सहदेवगंज थाना महाराजगंज आजमगढ़, 6.प्रदीप राय पुत्र दयाशंकर निवासी अवतीपहलवानपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़, 7.शीलावती पत्नी धर्मेन्द्र निवासी हाजीपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, 8.सविता पुत्री रामबृक्ष निवासी ताहिरपुर बघावर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़,

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त

- 1.अविनाश सिंह पुत्र भानू प्रताप सिंह निवासी हरखपुरा खास थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़,
- 2.रोहित कुमार सिंह पुत्र स्व0 विनोद सिंह ग्राम हरखपुरा खास थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आज दिनांक 15.03.23 को गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.वेदप्रकाश विश्वकर्मा पुत्र रामनयन उम्र करीब 44 वर्ष निवासी हैदराबाद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़,
- 2.शीलावती पत्नी धर्मेन्द्र उम्र करीब 35 वर्ष निवासी हाजीपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़,
- 3.सविता पुत्री रामबृक्ष उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ताहिरपुर बघावर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 माखन सिंह मय हमराह का0 रामशरन, का0 सागर कुमार, म0आ0 पूजा गुप्ता, म0आ0 सपना थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर व स्वाट टीम द्वितीय की संयुक्त टीम द्वारा 25 हजार रूपये का इनामिया गैंगेस्टर एक्ट का अभियुक्त अजय कुमार गिरफ्तार

निरीक्षक अपराध विकास पाण्डेय मय हमराहियान व स्वाट टीम द्वितीय आजमगढ़ द्वारा मुखबिरी सूचना पर करतालपुर तिराहे से गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त अजय कुमार पुत्र बाबूराम सा0 हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष को कारण गिरफ्तारी बताते हुए दिनांक 15.03.2023 को समय 11.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण – मु0अ0सं0 91/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण – अजय कुमार पुत्र बाबूराम सा0 हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
1	1201/10	272/273 भादवि व 60 आबकारी अधि0	कोतवाली	आजमगढ़
2	1212/11	323/427/504/506 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
3	139/18	147/504/506 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
4	206/19	120बी/147/148/504/506 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
5	333/20	323/504 भादवि व 3(1)घ, 3(1)द एससी/एसटी एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़
6	297/21	323/406/420/504/506 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
7	138/22	406/420/504/506 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
8	91/2023	3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. निरीक्षक अपराध विकास पाण्डेय थाना कोतवाली नगर
- 2.उ0नि0 संजय सिंह प्रभारी स्वाट टीम द्वितीय मय टीम जनपद आजमगढ़ ।
- 3.उ0नि0 विनय कुमार दूबे मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़ ।

थाना अतरौलिया

मारपीट में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व का विवरण- दिनांक 14.03.2023 की सुबह लगभग 8 बजे अभियुक्त हृदय कुमार यादव पुत्र त्रिभुवन यादव निवासी ग्राम भीखपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा ट्रैक्टर से विद्युत पोल को धक्का देकर गिरा दिया गया। इस बात पर जब वादी अंगलेश पुत्र लालधर निषाद निवासी ग्राम भीखपुर थाना अतरौलिया की माँ किसमती देवी ने विरोध किया तो हृदय कुमार यादव गन्दी-गन्दी गालियां देकर मारने लगा। जब वादी घटना की सूचना पाकर अपनी माँ को बचाने गया तो अभियुक्तगण हृदय कुमार यादव पुत्र त्रिभुवन यादव, विजयपाल यादव पुत्र बुद्धू, विकास यादव पुत्र सत्यवान, रमाकान्त यादव पुत्र त्रिवेणी मिलकर लोहे की राड व लाठी से बुरी तरह से मारने-पीटने लगे। जिससे वादी का सिर फट गया और मौके पर ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। वादी को बचाने आये चचेरे भाई प्रियांशु निषाद पुत्र बालचन्द निषाद और मां किसमती का भी सिर फट गया तथा भाभी सरिता पत्नी अजय को भी हृदय कुमार यादव ने नुकीले हथियार से मार दिया। जिससे सरिता के हाथ में पंजे के पास कट गया। जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर वादी की लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 71/23 धारा 308/323/504 IPC दिनांक 14.03.23 को पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना व आवश्यक कार्यवाही हेतु उ0नि0 प्रभात चन्द पाठक को प्राप्त हुआ।

2. गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 15.03.23 को उ0नि0 प्रभात चन्द पाठक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्तगण 1. हृदय कुमार यादव पुत्र त्रिभुवन 2. विजयपाल यादव पुत्र बुद्धू यादव 3. रमाकान्त यादव पुत्र त्रिवेणी यादव निवासीगण भीखपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के घर दबिश दिया गयी तो अभियुक्तगण घर पर मौजूद मिले। अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 11.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 71/23 धारा 308/323/504 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. हृदय कुमार यादव पुत्र त्रिभुवन
2. विजयपाल यादव पुत्र बुद्धू यादव
3. रमाकान्त यादव पुत्र त्रिवेणी यादव निवासीगण भीखपुर थाना अतरौलिया, आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 प्रभात चन्द पाठक 2. हे0का0 अविनाश विश्वकर्मा 3. का0 अरुण सिंह थाना अतरौलिया, आजमगढ़

थाना- मुबारकपुर

दुष्कर्म में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना– दिनांक 07.05.2019 को वादिनी मुकदमा ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि पीड़िता को अभियुक्त आफताब पुत्र मु0 अमीन साकिन चिउटही नई अबादी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा जबरदस्ती दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 116/2019 धारा 376/506 भादवि पंजीकृत है जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी कस्बा उ0नि0 राजीव कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

2. गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक- 15.03.2023 को उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आफताब पुत्र मु0 अमीन साकिन चिउटही नई अबादी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को समौधी ईदगाह के पास से समय करीब 11.21 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। नियमानुसार थाना हाजा लाकर दाखिला कराया गया अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-आफताब पुत्र मु0 अमीन साकिन चिउटही नई अबादी थाना मुबारकपुर आजमगढ़
पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 116/2019 धारा 376/506 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
गिरफ्तारी करने वाली टीम –

प्रभारी चौकी कस्बा उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
हे0का0 रविन्द्र सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना-मेंहनाजपुर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 15.03.2023 को SSI मोती लाल पटेल मय हमराह द्वारा चेंकिंग के दौरान ग्राम जियापुर पाकड़ के पेड़ के पास स्थित चबूतरे से अभियुक्त अंकित सिंह S/O जयगोविन्द सिंह ग्राम निहुला थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को एक अदद जिन्दा कारतूस के साथ समय 09.30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 48/23 धारा 3/25 A Act पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

. पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 48 /2023 धारा 3/25 A Act थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़

अपराधिक इतिहास :- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1- अंकित सिंह S/O जयगोविन्द सिंह ग्राम निहुला थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

विवरण बरामदगी एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर |

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

01.व0उ0नि0 मोती लाल पटेल उ0नि0 रमेश सिंह मय हमराह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना- पवई

हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 13.3.2023 को आवेदक सुजीत कुमार पुत्र शिवनरायन ग्राम शहराजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ मय हमराह ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि अभियुक्त प्रिंस कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम शहराजा थाना पवई आजमगढ़ द्वारा बिना कारण के ही जान मारने की नियत से कुल्हाड़ी से मारना जिससे वादी के सिर पर गम्भीर चोट आना व मारते समय भद्दी-भद्दी गाली देने के सम्बन्ध में दाखिल किया गया दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 65/23 धारा 307/504 भादवि बनाम प्रिंस कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम शहराजा थाना पवई आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- उ0नि0 रामकिशोर शर्मा मय हमराह द्वारा आज दिनांक 15.3.2023 को मु0अ0स0 65/23 धारा 307/504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त प्रिंस कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम शहराजा थाना पवई आजमगढ़ को घटना मे प्रयुक्त एक अदद कुल्हाड़ी के साथ समय करीब 10.30 बजे फत्तनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हमलोगो के बीच पुरानी रंजीश थी दिनांक 13.3.2023 की रात मे हमलोगो के बीच मे झगडा हो गया था वही पास मे एक कुल्हाड़ी थी मैने उस कुल्हाड़ी को उठाकर के जान मारने की नियत से सुजीत कुमार पुत्र शिवनरायन ग्राम शहराजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ के उपर जान से मारने की नियत से सर पर हमला कर दिया था वह हट गया था उसके आँख के उपर लग गया वह बच गया तब तक मौके पर दिवाकर पुत्र राजदेव निवासी शहराजा व प्रतीक यादव पुत्र शिवकुमार आकर बीच बचाव किये जिससे वह बच गया था।

पंजीकृत अभियोग: मु0अ0स0 65/23 धारा 307/504 भादवि थाना पवई आजमगढ़
आपराधिक इतिहास:- मु0अ0स0 65/23 धारा 307/504 भादवि थाना पवई आजमगढ़
बरामदगी --- एक अदद लोहे की कुल्हाड़ी
गिरफ्तार अभियुक्त:—

1- प्रिंस कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम शहराजा थाना पवई आजमगढ़
गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 रामकिशोर शर्मा मय हमराह थाना पवई आजमगढ़

थाना-मेंहनाजपुर

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना:- दिनांक 22.02.2023 को वादिनी थाना मेंहनाजपुर जिला आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि मेरे जीजा के बुआ का लड़का विकास यादव पुत्र सुग्रीव यादव ग्राम बुन्दा थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ मुझे शादी करने का झांसा देकर मेरे साथ शारिरिक सम्बन्ध बनाता रहा जब हमने शादी करने कि बात कहा तो वह शादी करने से इंकार करने लगा मेरी नानी के मृत्यु लगभग 9 माह पहले हुई थी जिसके क्रिया कर्म व तेरही में मेरे माता पिता मेरे ननीहाल चले गये थे घर पर कोई नही था तो विकास यादव मेरे घर आकर मेरे साथ जबरजस्ती शारिरिक सम्बन्ध बनाया जिसके सम्बन्ध में वादिनी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 27/2023 धारा 376/504/506 भादवि व3/4 पाक्सो एक्ट बनाम बनाम 1-विकास यादव पुत्र सुग्रीव यादव 2- सुग्रीव यादव पुत्र अज्ञात 3- सूरज पुत्र सुग्रीव यादव 4- विशाल यादव पुत्र सुग्रीव यादव 5-माता उर्मिला देवी पत्नी सुग्रीव यादव समस्त साकिनान बुन्दा थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है।

दिनांक 15.03.23 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विकास यादव पुत्र सुग्रीव यादव ग्राम बुन्दा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ , मेंहनाजपुर को सरकारी अस्पताल के गेट के पास समय करीब 10.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग—

1-मु0अ0स0 27 /2023 धारा 376,504,506 भादवि व 3/4पाक्सो एक्ट थाना मेहनाजपुर,आजमगढ़
अपराधिक इतिहास :-

1-मु0अ0स0 27 /2023 धारा 376,504,506 भादवि व 3/4पाक्सो एक्ट थाना मेहनाजपुर,आजमगढ़
गिरफ्तार अभियुक्त :-

1- विकास यादव पुत्र सुग्रीव यादव ग्राम बुन्दा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम 01.उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना- मेंहनाजपुर

किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना:- दिनांक 25.12.2022 को वादिनी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि वादिनी की लड़की उम्र 14 वर्ष बिना बताये 2 बजे दिन में कही चली गयी जिसके सम्बन्ध में वादिनी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 178/22 धारा 363,366,376 भादवि व3/4 पाक्सो एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था जिसमें विवेचना के दौरान अभियुक्त 01. लोकप्रिय यादव पुत्र महेश यादव निवासी मल्लापुर थाना मुसाझाग जनपद बंदायु 02. ओम पाल यादव पुत्र वृजपाल यादव निवासी मल्लापुर थाना मुसाझाग जनपद बंदायु प्रकाश में आया था। जिसमें अभियुक्त लोकप्रिय यादव पुत्र महेश यादव निवासी मल्लापुर थाना मुसाझाग जनपद बंदायू की गिरफ्तारी कर जिला कारागार आजमगढ़ निरुद्ध किया जा चुका है।

दिनांक 15.03.23 को व0उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि. ओमपाल यादव पुत्र वृजपाल यादव ग्राम मल्लापुर थाना मुसाझाग जनपद बंदायू के बारे मे पतारसी सुरागरसी करते हुये थाना मुसाझाग जनपद बंदायू पहुचे, थाना स्थानीय से आवश्यक पुलिस बल लेकर अभि. के घर ग्राम मल्लापुर पहुँचा दविश दिया गया परन्तु अभियुक्त घर पर नहीं मिला इसी दौरान अभि. लोकप्रिय यादव पुत्र महेश यादव ग्राम मल्लापुर थाना मुसाझाग जनपद बंदायू के घर पहुँच कर अभि. ओमपाल यादव के बारे में पूछा गया तो बताया कि सम्भवतः ओमपाल लोकप्रिय यादव से मिलने आजमगढ़ गया हुआ है। इस जानकारी के उपरान्त अभि. के आजमगढ़ पहुँचने के सम्भावित स्थान रोडवेज आजमगढ़ आये परिसर मे काफी तलाश किया गया, परन्तु पता

नहीं चला पुनः खाना होकर जिला जेल आजमगढ़ आये तो जेल परिसर के बाहर उपस्थित लोगों से उनके बारे में पूछताछ किया जाने लगा तभी एक लड़का उम्र लगभग 20 वर्ष जो हम लोगों को देखकर बाजार की तरफ जाने लगा सन्देह होने पर रोककर पूछा गया तो अपना नाम ओमपाल यादव पुत्र वृजपाल यादव ग्राम मल्लापुर थाना मुसाझाग जनपद बंदायू बताया। नाम पता तस्दीक होने पर उक्त मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त को समय करीब 05.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 178 /22 धारा 363,366,376 भादवि व3/4 पाक्सो एक्ट थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़
अपराधिक इतिहास :- - मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त

1-ओम पाल यादव पुत्र वृजपाल यादव निवासी मल्लापुर थाना मुसाझाग जनपद बंदायू

गिरफ्तार करने वाली टीम

01.व0उ0नि0 मोती लाल पटेल मय हमराह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना /इतिहास का विवरण- दिनांक 12.03.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया दिनांक- 10.03.23 को रात्रि में समय करीब- 22.00 बजे आरोपी गुलाब यादव पुत्र दयाराम यादव साकिन- भरौली टोडर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदिका के घर में घुसकर आवेदिका के साथ दुष्कर्म किया गया तथा आवेदिका के चिल्लाने पर लात घूसा से मारने पीटने व और जान से मारने की धमकी दी गयी, के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 61/2023 धारा 376/452/323/506 IPC व 3(2)5 SC/ST Act का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 15.03.2023 को उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराही द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गुलाब यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी ग्राम भरौली थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को मठिया से पियरिया छितौना मोड़ के पास समय करीब-09.20 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 61/2023 धारा 376, 323, 506, 452 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना कप्तानगंज
आजमगढ़

अपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- गुलाब यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी ग्राम भरौली थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़